देवबणी री बात

कृपाविस का सामुदायिक जंगल 'देवबणी/ओरण' संरक्षण अभियान

अंक 19 अप्रैल 2011

राजस्थान राज्य वन नीति 2010 का क्रियान्वयन हो

राजस्थान राज्य वन नीति 2010 जो राजस्थान के वन प्रबन्धन को लेकर पहली बार बनी है। उसमें ओरण / देवबणी विषय को भी महत्व दिया गया है। जिसके लिए 'कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान' (कृपाविस) लम्बे समय से पैरवी करता रहा है। इस नीति दस्तावेज में लिखित उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि वनस्पति और राज्य के वनों की दुर्लभ और विलुप्त प्रायः प्रजाति के संरक्षण और जैव विविधता के प्रबन्धन हेतु ओरण, झीलें, चारागाह आदि का विकास हो।

इस वन नीति की धारा 5.10 के अन्तर्गत उपधारा 5.10.1 में ओरण/ देवबणी को अच्छा जंगल और समृद्ध जैव–विविधता के खजाना कहा गया है। ओरण देवबणी स्थानीय समुदायों के धार्मिक मान्यता तथा संरक्षण के बीच तालमेल का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया है। अतः ओरण/ देवबणी के समुचित विकास के लिए आवश्यक वित्तीय तथा कानून सहायता प्रदान करने का प्रावधान इस नीति में रखा गया है।

उपधारा 5.10.2 के अन्तर्गत स्थानीय गैर सरकारी संगठनों तथा धार्मिक ट्रस्टों के सहयोग से ओरण/ देवबणियों का जिलावार सूची, डेटा बेस, तैयार करने हेतु बल दिया गया है। हालांकि इन क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रावधान के अनुसार 'डीम्ड फोरेस्ट' समझा गया है। जो वन समुदाय की स्वामित्व भावना और पारम्परिक संरक्षण व्यवस्था को कमजोर कर सकता है।

KRAPAVIS

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस)

कृपाविस बणी, गांव-बख्तपुरा

पो॰ सिलीसेढ़, जिला अलवर-301001 (राज.)

ई-मेल:krapavis_oran@rediffmail.com

सम्पादन : अमनसिंह व प्रतिभा सिसोदिया

उपधारा 5.10.3 के अनुसार इन ओरण/ देवबणियों प्रबन्धन हेतु लोगों तथा मन्दिर के न्यासियों की समितियाँ गठित की जा सकती हैं, जिन्हें ओरण/ देवबणी संरक्षण करने वाली शक्तियाँ प्रदान होगी। यह समुदायों की सहभागिता और अधिकारों को बढावा देने के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है।

राजस्थान राज्य वन निति 2010 के अस्तित्व मे आये हुऐ लगभग डेढ साल हो गया है। लेकिन सरकार/वन विभाग द्वारा इस निति के क्रियान्वयन की दिशा में शुरुआत भी हुई प्रतीत नही होती। इस निति मे समुदायों की सहभागिता तथा अधिकारो का ध्यान रखा गया है इसलिए इस दस्तावेज की शुरु में काफी प्रशंसा हुई थी तथा यह माना जा रहा था कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी यह एक मॉडल वन निति साबित हो सकती है।

इस निति की क्रियान्विति की दिशा में कृपाविस कई बार वन विभाग के उच्च अधिकारियों को लिख चुकी है। समुदायों व अन्य क्षेत्रों से भी लगातार दबाब बनाया जा रहा है कि इस निति का क्रियान्वयन शीघ्र अतिशीघ्र शुरू होना चाहिए। जिससे की समुदायों को अपने अधिकारों व कत्तव्यों को निर्वहन करने का अवसर भी मिल सकेगा। साथ ही वन सवर्द्धन के सरकारी प्रयासो को और बल मिल सकेगा। अतः राजस्थान सरकार द्वारा वन निति 2010 का क्रियान्वयन होना जंगल, ओरणों तथा समुदायों के हित में है।

करणी माता ओरण: काबा (चूहों) के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध

करणी माता की देवबणी/ ओरण देशनोक गांव जिला बिकानेर में स्थित है। इस ओरण का क्षेत्रफल 4 वर्गमील है। इसमें अनेको प्रजाति के पेड़–पौधे हैं, जिनमें कैर, खेजडी, नीम, पीपल, जाल व बैर बहुत मात्रा में है। इस देवबणी मे जंगली जानवरों मे रोजडा, सुअर व खरगोश है। चूहे इस मन्दिर में निडर घूमते रहते हैं स्थानीय बोली में इसको '' काबा'' कहा जाता है। सफेद काबे के दर्शन हेतु यात्रीगण लालयित रहते है क्योंकि यह धारणा है कि भाग्यशाली व्यक्ति को इस पवित्र काबे के दर्शन होते हैं।

इस ओरण क्षेत्र मे हल चलाना, लकड़ी काटना एवं अन्य हिंसक कार्यो पर रोक है। जिसका पालन यहाँ का समाज बखूबी कर रहा है। ओरण के बाहर के क्षेत्र में खेती की जाती है। जल व्यवस्था के लिए तालाब बनवाये गये थे। जो अब टूट चूके है। उसके बाद काफी समय तक कुओं से ऊँटो द्वारा पेयजल निकाला जाता रहा है अब इस ग्राम में आधुनिक जल प्रदाय योजनाऐं है। जिसमे पेयजल की व्यवस्था नलो द्वारा हैं।

देशनोक किसी समय में जांगल देश की नाक थी। महाभारत काल से ही द्वारिका से दिल्ली जाने के मार्ग का यह प्रसिद्ध पडाव रह चुका है। जांगल देश के पवार शासको ने 4 वर्ग मील में पशुओं के विशेष रूप से घोडो के लिए चारागाह बनवाया था। घास कस काफी अधिक मात्रा में पैदा होना इसका एकमात्र कारण था। बाद में बदलते हुए समय के साथ आज का देशनोक सामने है।

करणी माता का अवतार विक्रम संवत 1444 में चारण जाति में सुनाप ग्राम में फलोदी के पास हुआ। देशनोक में करणी जी ने तपस्या करके इस स्थान को गरिमा प्रदान की। श्री महाराजा गंगासिंह जी के द्वारा निर्मित मन्दिर के अतिरिक्त अन्य सभी ऐतिहासिक अवशेष काल के साथ ही विलुप्त हो चुके हैं किन्तु लोक गाथाओं के रूप में आज भी जनश्रुतियाँ यहाँ के निवासियों की सुरक्षित विधियां है।

कहा जाता है कि करणी माताजी चार वर्ष की थी तो इनके पिता मेहोजी को जंगल में सर्प ने काट खाया। करणी जी ने पिता के सर्पदंश अंग पर हाथ रखकर सारा विष हर लिया व उन्हे जीवन दान दिया। इस ख्याती को सुनकर पूगल के राजा राव शेखा ने शत्रु से बदला लेने की ठानी व युद्ध से पहले करणी जी का आशीर्वाद लेने उनके ग्राम आये। करणी जी पिताजी के लिए दही रोटी लेकर खेत जा रही थी। रास्ते में दोनो की भेंट हुई। राव शेखा ने उनको प्रमाण किया व युद्ध में विजय हेतु आशीर्वाद मांगा। करणी जी ने शेखा जी का स्वागत मेहमान के रूप में किया व उनको घर चलने के लिए कहा। किन्तु शेखा जी ने समयाभाव हेतु क्षमा मांगी। इस पर करणी जी ने कहा कि आप मेहमान भूखे नही जा सकते इस कारण जो कुछ भी भोजन है वही गृहण करो।

राव शेखा ने देखा कि भोजन तो थोडा है व खाने वालों की संख्या ज्यादा है। यह विचार करते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बाईजी कुछ भी दे उसे ग्रहण करों व दुबारा मांगकर उनके अनुरोध का अपमान न करें। इस आदेश को सुनकर समस्त सैनिक बर्तन लेकर आ गये। करणी जी एक–एक कर सभी सैनिकों के सामने जाती व अपनी छोटी सी हॉडी का समस्त दही उडेल देती व सब को रोटियॉ दे देती। दूसरे सैनिक के सामने जाने पर दही की हॉडी फिर भर जाती। यह देखकर सभी सैनिक आश्चर्य चकित रह गए व सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि

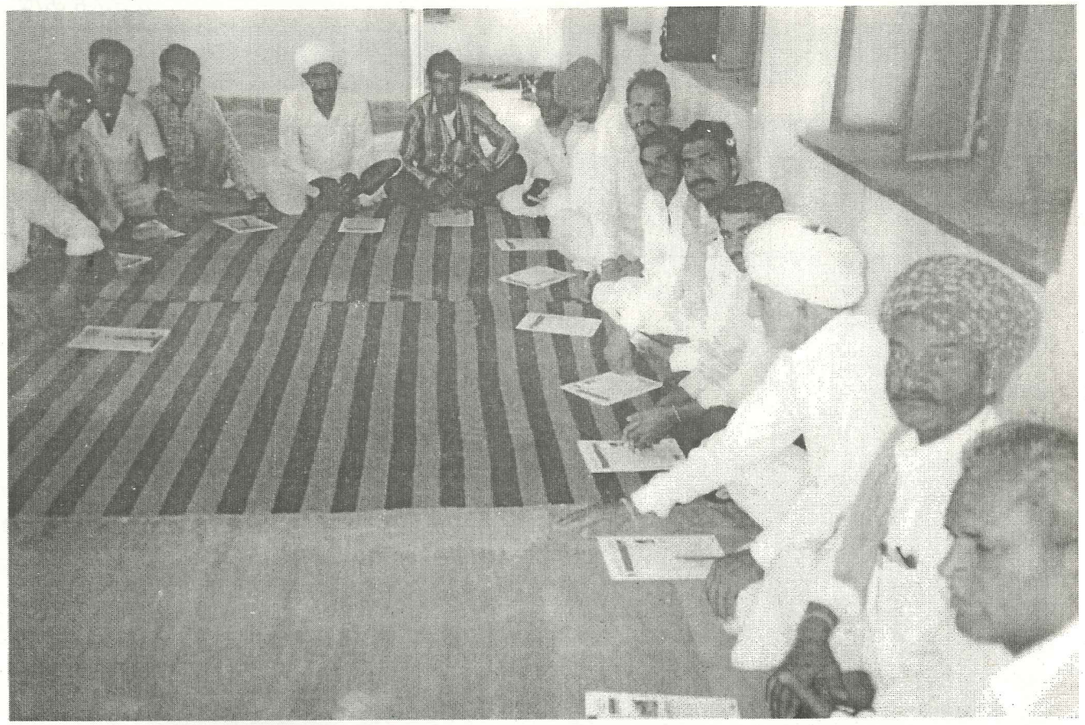

ऐसा स्वादिष्ट दही व रोटी उन्होंने कभी नहीं खाई। राव शेखा ने शत्रु पर करणी जी के आर्शीवाद से विजय प्राप्त की एवं लौटाने पर उनको बहन के रूप में अपनाया।

जैसे–जैसे देशनोक की आबादी बढती गई वैसे–वैसे ईंधन हेतु जाल के वृक्ष काटे जाने लगे। इससे प्राकृतिक शोभा नष्ट हो गई। वृष्टि कम होने के कारण काटे जाने वाले जाल वृक्षों की संख्या उगने वाले जाल वृक्षों से अधिक थी। इसलिए करणी माता ने झाडवेरी वृक्ष के उगाने शुरू कर दिये थे। इससे जहॉ प्राकृतिक सौन्दय बना रहा वहां गायों की झरबेरी के सूखे पत्ते खाने का लाभ प्राप्त हुआ। जो दूध के निरोग होने की शक्ति प्रदान करता है। जाल का वृक्ष गाग नहीं खाती। इसके अतिरिक्त करणी जी ने जंगल की सीमा निर्धारित की और नगरवासियों कों आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति सूखी या गीली लकडी नहीं तोडे एवं जमीन पर गिरकर सूखी लकड़ियों का प्रयोग केवल धार्मिक कार्यो में ही किया जाए, जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा वह कोप का भाजन होगा।

समय बदल गया व इसके साथ ही देश के भूखण्डों में सभ्यता दूषित होती चली गई किन्तु देशनोक प्राचीन परम्पराओं एवं आदर्शों का अपरिवर्तित स्थान है बहुत ही थोडा दूषित वातावरण नजर आता है। करणी माता के ओरण के सुरक्षा हेतु वर्तमान में सरकार द्वारा तारबन्दी की हुई है। जिसका उद्घाटन उद्योग मंत्री द्वारा किया गया था।

मई 2009 में कृषविस ने बीकानेर के ओरणों पर गहन चर्चा के लिए समुदायाओं के साथ कोलायत में एक सम्मेलन का आयोजन किया। जिसमें निम्न बिन्दु प्रमुखता से उभर कर आये:

- जब ओरण घोषित हुये थे वे मुख्यतया गायों की चराई के लिए थे। लेकिन आज गायों की जगह बकरियाँ आ गई हैं।
- बीकानेर जिले के अधिकतम ओरणों की जमीन पर विवाद व झगड़े हैं जिसके लिए इनका सीमानकन अतिआवश्यक है।
- बीकानेर के ओरणों में सबसे ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष होते हैं जो यहाँ के मानव–मवेशी के लिए जीवन आधार हैं। उन्हे संरक्षित करने पर और बल दिया जाना चाहिए।
- नरेगा योजना द्वारा ओरणों का विकास (जैसे: वृक्षारोपण, भू–जल संरक्षण, घास बीजारोपण आदि) होना चाहिए।
- आरणों के रखरखाव की जिम्मेदारी गाँव समुदाय के हाथों में ही रहनी चाहिए। जिसके लिए ग्राम स्तरीय संगठन बनें तथा उसे कानूनी अधिकार प्राप्त हो।

बाजरा: एक सम्पूर्ण खाद्यान

बाजरा एक ताकतवर व बहुत उपयोगी फसल है। क्योंकि यह फसल बगैर खर्चे से पैदा होती है न तो इसमें पानी देना पडता है और न ही ज्यादा खाद्य देना पडता है। यह एक मौसमी खाना है इसे सर्दियों में अधिक उपयोग लिया जाता है ।

बाजरा एक सम्पूर्ण खाद्यान्न है जो खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ कई प्रतिभूतियॉ जैसे– चारा सुरक्षा, स्वास्थ्य व पोषण सुरक्षा, जल सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है।

बाजरा सुखा प्रतिरोधी फसल है, इसमें उच्च तापमान झेलने की क्षमता है। यह अनाज और गैर सिंचित क्षेत्रों में पैदा हो सकता है तथा यह पानी की कमी को झेलने की क्षमता है।

बाजरा फसल दलहन व तिलहन फसलों के साथ मिश्रित रूप से बोई जा सकती है जो मिट्टी में कार्बन ठीक कर सकते है। यह अनाज पौष्टिकता से परिपूर्ण है। इनमें से हर एक प्रजाति में आमतौर पर खाये जाने वाले चावल व गेहूं के मुकाबले तीन से पांच गुणा ज्यादा पौष्टिक है।

बाजरा को दवाई के रूप में काम में लिया जाता है पशु ब्याता है तो उसे जेर डालने के लिए बाजरा व गुड दिया जाता है जिससे पशु जेर जल्दी व सुविधाजनक डाल सके। पशु को गर्मी में लाने के लिए मुर्गे की विष्ठा 250 ग्राम धूप में सुखाकर उसमें 1 किलोग्राम बाजरा के साथ रोज 50 ग्राम विष्ठा के साथ पांच दिन दिया जाता है। बाजरा की सुखी कडबी और लसोंडा के पत्ते को जलाकर उसकी 50 ग्राम राख के खाने या एक लीटर पानी में मिलाकर पिलाने से पशु का गर्भाश्य रूक जाता है। पशुओ में जहर आता है तब बाजरा का मांड व गुड को मिलाकर देते है। इससे पशुओं का जहर दूर हो जाता है।

पक्षियों को रोज सुबह चुग्गे के रूप में मंदिरों में चुगने के लिए डाला जाता है। चिटिंयों को 'चिटावल' के रूप में बाजरा का दलिया करके खिलाया जाता है। किसी जोगी या सन्यासी को बाजरा अनाज का दान किया जाता है। सर्दियों में बाजरे की राबडी रांदी जाती है और बाजरे की रोटीयाँ खाई जाती है। बाजरा की रोटी वह ग्वार की फली की सब्जी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है।

सर्दियों में दिन में घर में एक बार तो कढी बाजरा बनाया जाता ही है इसे खाने के बाद सर्दी कम लगती है इसके साथ बाजरे की खिचड़ी बनायी जाती है जिसमें अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए चने की दाल व चावल डाले जाते हैं।

दीपावली के बाद गोर्वधन पूजा के दिन सुबह घर व सभी धार्मिक जगहों पर कढ़ी बाजरा विशेष रूप से बनाया जाता है जिसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है जिसे ''अन्नकूट'' कहा जाता है।

सर्दियों के चार माह पशुओं को केवल बाजरा का दलिया रांधकर (बांट) के रूप में खिलाया जाता है और ऊपर से चारे पर बाजरे का चून (आटा) गेरा जाता है। आज के समय खाने के साथ–साथ इसका उपयोग अन्य वंजन जैसे चुरमा, लड्डू, बाटी आदि बनाने में होने लगा है। जिससे इसके दाम भी अच्छे मिलने लग गये है बाजरा के द्वारा मादक पेय पदार्थ भी बहुत मात्रा में बनाये जाते हैं।

बाजरे की कडब (कडबी) इसे पहले 'हे' बनाकर सुखाया जाता है बाद में सर्दियों के समय पशुओं को कुट्टी कराकर खिलाया जाता है। इससे पशुओं में गर्मी व दूध की मात्रा बढ जाती है।

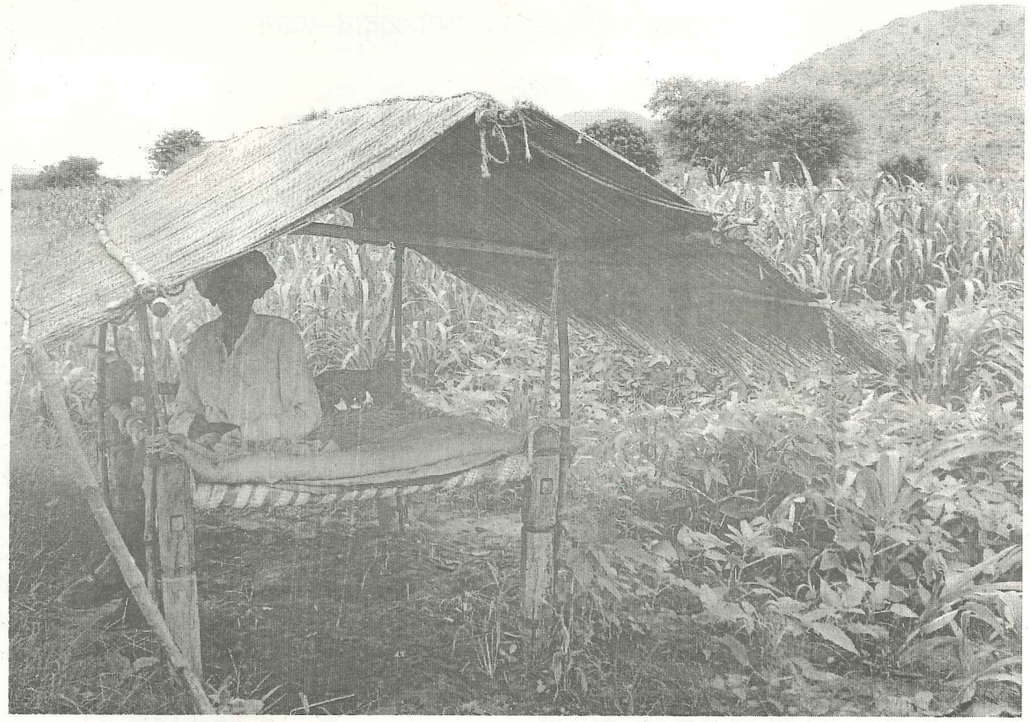

जहां पर चारे की कमी रहती है वहां इसका साइलेज बनाकर पशुओं को लम्बे समय तक खिलाया जाता है।

बाजरा को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी काम लिया जाता है शादी के दूसरे दिन दूल्हा–दुल्हन बाजरा को हाथ में लेकर एक–दूसरे को बारी–बारी से 7 बार लौटाया जाता है जिसे गांव की लोकल भाषा में ''कंगना खेलना'' कहा जाता है।

होली से पहले बाजरा की ''खील'' बांटी जाती है जैसे किसी के लड़का होता है या शादी होती तब इसे बहन या बुआजी ''ढूड'' लाती है और फिर इसे पूरे गांव की महिलाओं को बांटा जाता है। इसका यह मानना होता है कि छोटा बच्चा स्वस्थ व लम्बी आयु की कामना की जाती है। मंकर संक्रान्ति के दिन जोगी, महात्माओं को बाजरा दान दिया जाता है।

कृपाविस ने कैरवावाल पंचायत का अध्ययन किया जिसमे पाया की 62 प्रतिशत क्षेत्र पर किसान अभी भी बाजरा बोते हैं। किसानों का मानना है कि बाजरा:

- ❖ बहुत ही महत्वपूर्ण व स्वास्थ्यवर्द्धक खाधान्न है।
- ❖ बहुत ही कम वर्षा क्षेत्र में उगाया जा सकता है।
- ❖ किसी भी तरह की मिट्टी जैसे रेगिस्तानी, पठारी, उबड़–खाबड़, बंजर आदि में उगाया जा सकता है।
- ❖ उगाने के लिए लागत जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक दवायें, संकर बीज आदि की खास आवश्यकता नही होती है।
- ❖ मिश्रित खेती के रूप में मूँग, अरहर, ग्वार, तिल, सन आदि के साथ आसानी से उगाया जा सकता है।
- ❖ बहुत ही अच्छा चारा माना जाता है।
- ❖ हमारी संस्कृति का हिस्सा है।

घाघ कवि ने बाजरे के बारे में लिखा है कि :

पेग पेग पर बाजरा, मेढ़क कुदैपी ज्वार।
ऐसे बावे जो कोई घर का सरे भण्डार।।

इसी बात को स्थानिय समुदाय इस तरह से कहते है कि

पेड दूरेड बाजरा, मेढ़क फुदक ज्वार।
गधा गूण तेर निकल जाये जब मक्का हुई जान।।

समुदायों की माँग है कि बाजरे का वितरण भी गेहूँ, चावल की भाति जन वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत होना चाहिए। इस पर पेरवी हेतु राष्टव्यापी आंदोलन 'मिलेट नेटर्वक ऑफ इण्डिया' के तहत चल रहा है। राजस्थान स्तर पर पेरवी हेतु ' मिलेट नेटर्वक ऑफ राजस्थान' के तहत अभियान चल रहा है।

चरवाहा समुदायों का आपसी आदान–प्रदान

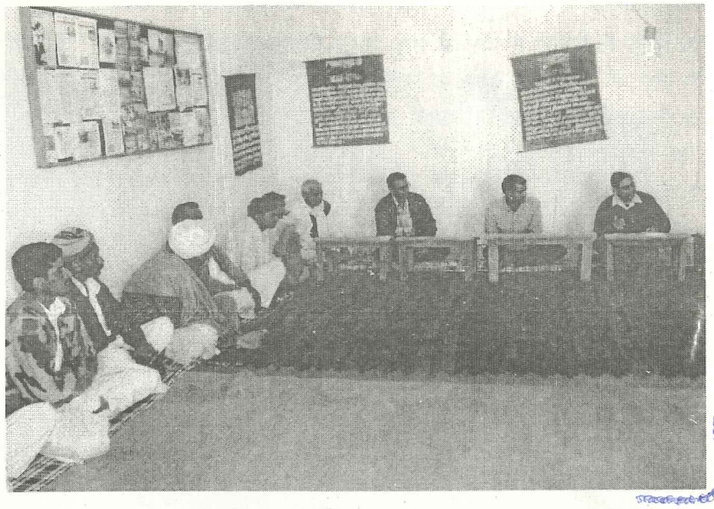

देश तथा राजस्थान प्रदेश में चरवाहा समुदायों के साथ कार्य कर रहे विभिन्न संगठनों का तीन दिवसीय (26 से 28 फरवरी 2011) एक आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कृपाविस द्वारा अपने बख्तपुरा स्थित परिसर कृपाविस बणी में किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 50 चरवाहा समुदायों के मुखिया तथा संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

चरवाहा समुदायों के साथ आंध्रप्रदेश में कार्यरत आन्तरा नामक संगठन, लोक हित पशुपालक संस्थान पाली/जैसलमेर, सेवा मंदिर उदयपुर, कृपाविस अलवर, अरावली अजमेर, स्वप्रेरणा संस्था करोली तथा एन.आई.एफ. अहमदाबाद आदि के प्रतिनिधियों तथा उनसे जुडे हुए चरवाहा समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस आदान प्रदान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अलग–अलग क्षेत्रों के चरवाहा समुदायों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान तथा समन्वयन स्थापित करना था। जंगलों में चराई का अधिकार, परम्परागत पशु चिकित्सा, जंगल बचाने के परम्परागत तौर तरीको तथा आजीविका जैसे–महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करना तथा इस हेतु एकजुट होकर कार्य करने की कार्य योजना बनाना। नीति परिवर्तन के लिए सरकार पर एकजुट होकर दबाव बनाना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य था।

इस तीन दिन के कार्यक्रम में अनुभावों के आदान–प्रदान हेतु क्लासरूम सत्र, जंगल व जडी बुटियों को बचाने की वीघा ओरण/देवबणी का भ्रमण तथा सरिस्का के जंगल पर आधारित समुदायों के गांव में भ्रमण कर समस्याओं से अवगत होना, आदि इस कार्यक्रम के प्रमुख माध्यम थे। अरावली से संबंध श्री ऋषु गर्ग ने जंगल संरक्षण की आड़ में लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाले विभिन्न कानूनों विशेषकर 'क्रिरिटिकल वाईल्ड लाइफ हैबीटेट' की व्याख्या पर सम्भागियों के साथ बातचीत रखी।

कृपाविस टीम तथा सरिस्का चरवाहा समुदायों के प्रतिनिधियों ने जंगल संरक्षण तथा आजीविका एक साथ कैसे संभव है, इस पर सम्भागियों के साथ अपने अनुभवो को बांटा। आन्तरा हैदराबाद से आये प्रतिनिधियों ने परम्परागत पशु चिकित्सा तथा जंगल अधिकार अधिनियम के विषयों पर अपने अनुभव बताये। एन.आई.एफ. के श्री सज्जन सिंह ने भी परम्परागत ज्ञान के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पर अपने अनुभव रखे।

लोकहित पशुपालक संस्थान जैसलमेर तथा सोडाकोर जैसलमेर से आये चरवाहा समुदाय के लोगों ने ओरणों के संरक्षण तथा वर्तमान दुर्दशा पर विस्तार से सम्भागियों के साथ चर्चा की। पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख ओरणों को लेकर विश्लेषणात्मक चर्चा हुई। सेवामंदिर उदयपुर के श्री मोहसीन खाँ ने दक्षिणी राजस्थान में वन अधिकार अधिनियम पर अपने अनुभव बांटे। करौली स्थित कैला देवी वन्य अभ्यारण में चरवाहा समुदायों की स्थिति पर श्री लोकेन्द्र सिंह ने अपने अनुभव रखे। इसी प्रकार अन्य प्रतिनिधियों ने भी अपने–अपने अनुभव बांटे।

राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ० ए.के. सिंह ने पशुधन नीति तथा पशुपालन विभाग की अन्य नीतियों व योजनाओं के बारे में सम्भागियों को अवगत कराया।

कार्यक्रम के अन्तिम दिन सम्भागियों ने भैरूनाथ देवबणी का भ्रमण किया तथा जंगल बचाने की इस पद्धति पर विस्तार से स्थानिय समुदायों से चर्चा की। देवबणी में पाई जाने वाली विभिन्न जड़ी–बूटियों की जानकारी भी सम्भागियों ने हासिल की। इसी दिन सरिस्का जंगल का भ्रमण भी सम्भागियों को करवाया गया तथा यहाँ के स्थानीय समुदायों के साथ जंगल अधिकार, विस्थापन आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा की।

सरिस्का समुदाय एवं विस्थापन

सरिस्का बाघ परियोजना बाघ विहिन हो जाने के बाद सरकार ने सन 2006–07 में सरिस्का में बसे समुदायों को विस्थापित करने की रणनीति बनायी जिसके तहत पहले दौर में 11 गांवों को विस्थापित करने की योजना की क्रियान्विति शुरू की थी।

विस्थापन हेतु ग्रामीणों के सामने दो विकल्प रखे थे पहले विकल्प के रूप में जंगल से बाहर जाने वाले प्रत्येक परिवार को छह बीघा जमीन, ढाई लाख रूपये मकान बनाने तथा एक लाख रूपये जीवन यापन के लिए दिया जाना था। दूसरा विकल्प में सरकार ने ग्रामीणों के समक्ष एक मुश्त 10 लाख रूपये लेकर मनमर्जी से जमीन खरीदने का दिया था। यह सब लोभ लालच देने के बाद भी सरकार छः सालों में एक गांव को ही पूरी तरह से विस्थापित कर पाई है।

लोगों के विस्थापित नही होने के कई कारण है जिसमें प्रमुख है कि यहाँ के समुदायों की आजीविका पूरी तरह से जंगल पर निर्भर है। यही नहीं यहाँ के समुदाय जंगलों की सुरक्षा व संरक्षण की जिम्मेदारी अपना मानकर ही करते है। यहाँ के समुदाय अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो रहे है। वे जानते है कि सरकार जबरदस्ती हमें यहाँ से निकाल नहीं सकती। वन अधिकार 2006 से समुदायों को सम्बल मिला है। विस्थापन एक प्रक्रिया के तहत ही संभव हो सकता है। जिसमें समुदायों व ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है।

सरिस्का के सन्दर्भ में यहाँ के समुदायों का मानना है कि सामुदायिक वन अधिकारों के लिए बाघ परियोजना या अन्य जंगलों में कोई फर्क नहीं है। उनका कहना है कि:

- निषिद क्षेत्र की घोषणा भी समुदायों के साथ ही मिलकर हो तथा ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव ऊपर जाने चाहिए।
- सरकारी स्तर पर बिना समुदायों की सहमति से निषिद क्षेत्र घोषित हुई तो उन्हें रद्द करना चाहिए।
- हर स्तर पर समुदायों की भूमिका स्पष्ट व सक्रिय होनी चाहिए।
- जंगल निषिद क्षेत्र घोषित करते सभी दस्तावेज लोगों के बीच आने चाहिए तथा जन सुनवायी होनी चाहिए।
- मानव विहिन क्षेत्र घोषित करने का आधार तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर सरकार को पहले अध्ययन करना चाहिए।
- सभी प्लान ग्राम सभा द्वारा ही बनाये व स्वीकृत होने चाहिए।
- यदि कोई लोग/ समुदाय विस्थापित हो भी रहे है तो उन्हें दूसरी जगह सामुदायिक वन अधिकार मिलने चाहिए।
- समुदायों को तीसरा विकल्प भी दिया जाना चाहिए जिसके तहत उनको अधिकार होना चाहिए कि उन्हें विस्थापित होना चाहिए या नहीं।

ईका पेडा ने कटवावे, धरती दुखियारी

आतौ खुद ही अब सरमावे, इण पर प्रेत रमण न आवे,
ईका पेडा ने कटवावें, धरती दुखियारी हो.....
धरती जनम दियो पेडा ने, दुष्ट जन कटवावे हैं ब्याने,
ट्रक भर बेच दिया है छाने, जेब भर सरकारी हो....
बिरखा बिन पेडॉ नीं होवें, धरती प्यासी मरती रावें,
ई में उपज कहॉ सू होवे, आत्मा दे गारी.....
धरती भूखी प्यासी बोलें, ईकी दुखी आत्मा डोलें,
अब थे क्यों बैठा हो ओला, करों सब तैयारी हो.....

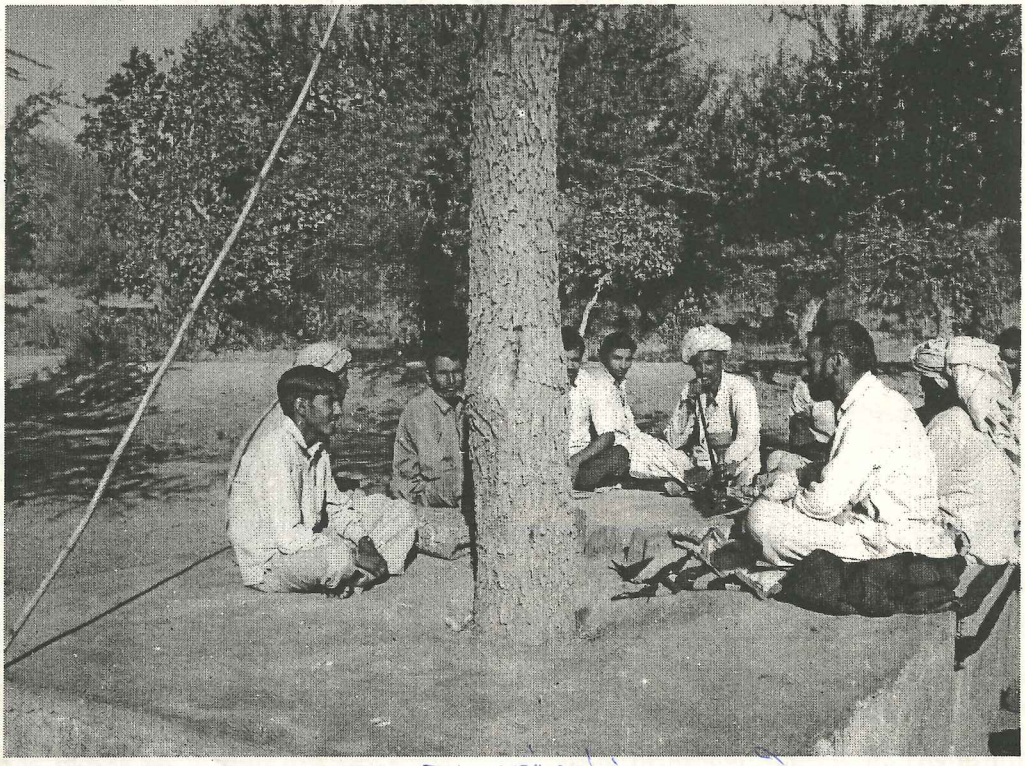

अब थे उजड्या बाग लगाओं, इणमें फेरू खुशबू ल्यावो,
बिरखा भर चौमासे पाओ, बणा दो फुलवारी हो.....
मुझ को कुछ नही आता जाता, लेकिन धरती सब की माता,
गाना "राजावत" यूँ गाता, प्राण सूँ है प्यारी हो.....
(साभार श्री किशन राजावत)

कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान (कृपाविस), बख्तपुरा, पो० सिलीसेढ झील, अलवर (राज०) द्वारा जनहित में प्रसारित।
मुद्रक: जय बाबा प्रिन्टर्स, स्टेशन रोड़, अलवर। लेआउट सहायक : शिव कुमार गुप्ता